

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला- सिंगरौली (म0प्र0)

E-mail Id:deo.singroli@mpexcise.org

वर्ष 2017-18 के लिये लाटरी एवं टेण्डर के द्वारा देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन बावत

सिंगरौली, दिनांक-

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2017-18 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिले में वर्ष 2016-17 में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों (जिन्हे आगे मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नाम से सम्बोधित किया गया है) का निष्पादन निम्न प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जाएगा ।

1. निष्पादन की प्रक्रिया :-

1.1 प्रथमतः वर्ष 2016-17 के मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं एवं जिन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उन मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों को परिभाषित करने के लिए उन्हें लॉटरी आवेदन पत्र कहा जायेगा। लाटरी द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	एकल समूह का विवरण				मदिरा दुकान/एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की संख्या		मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017-18 का आरक्षित मूल्य
	नाम	क्रमांक	समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम		देशी	विदेशी	
			देशी	विदेशी			
1	3	4	5	6	7	8	10
1	चदुली SGI एफ-5	SGI एफ-5	0	चदुली	0	1	41047910
				चदुली	1	0	9716182
				सरसवाह	1	0	22680731
				सिम्प्लेक्स कालोनी	1	0	4755175
				योग	3	1	78199999
2	जयन्त SGI एफ-4	SGI एफ-4	0	जयन्त	0	1	36377453
				जयन्त	1	0	8435713
				बनौनी	1	0	5022082
				योग	2	1	49835249
3	बरगवा SGI एफ-7	SGI एफ-7	0	बरगवा	0	1	26480000
				बरगवा	1	0	17255778
				योग	1	1	43735778



4	रजमिलान SGI एफ-8	SGI एफ-8	0	रजमिलान	0	1	21611644
			रजमिलान	0	1	0	8125200
			माडा	0	1	1	5779847
			0	करसुआ	0	0	2816642
			योग	0	2	2	38333333
5	सासन SGI एफ-10	SGI एफ-10	0	सासन	0	1	17918439
			सासन	0	1	0	12569339
			योग	0	1	1	30487778
6	चितरंगी SGI एफ-12	SGI एफ-12	0	चितरंगी	0	1	10115186
			चितरंगी	0	1	0	7036763
			लमसरई	0	1	0	2386248
			खटाई	0	1	0	1928672
			योग	0	3	1	21466868
			महायोग	0	12	7	262059005

1.2 वर्ष 2017-18 के लिये नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रही मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2017-18 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरुद्ध ई-टेंडर आमंत्रित कर किया जावेगा।

1.3 जिले में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित करने की दशा में किसी मदिरा दुकान/एकल समूह पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन जिला समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

2. निष्पादन का कार्यक्रम एवं निष्पादन स्थल :-

2.1 नवीनीकरण के आवेदन रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र दिनांक 01 फरवरी 2017 से 08 फरवरी 2017 को सायंकाल 5:30 बजे तक इच्छुक पात्र आवेदकों से आमंत्रित किये जायेंगे।

2.2 नवीनीकरण के लिये प्राप्त आवेदन पत्र एवं इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों का प्रक्रिया अनुसार परीक्षण कर निष्पादन की कार्यवाही संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2017 दिन गुरुवार को सम्पादित की जायेगी। दिनांक 09.02.2017 को निष्पादन से शेष, मदिरा दुकानों/एकल समूहों की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की कार्यवाही ई-टेंडर द्वारा की जायेगी। दिनांक 14 फरवरी 2017 से 22 फरवरी 2017 को सायंकाल 5:30 बजे तक म0प्र0 राज्य

इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर ई-टेंडर प्राप्त किये जायेंगे तथा उक्त अवधि में प्राप्त पात्र ई-टेंडरों की निविदा राशि एवं अन्य अभिलेखों का दिनांक 23 फरवरी 2017 को प्रातः 11.00 बजे से जिला समिति द्वारा परीक्षण किया जाकर मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.3 लॉटरी आवेदन पत्रों तथा ई-टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन निम्नांकित कार्यक्रम (टाइम टेबल) अनुसार, किया जायेगा। नवीनीकरण के माध्यम से/इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां, समय एवं कार्यक्रम:-

क्र.	विवरण	तिथि व समय
1	नवीनीकरण आवेदन के पत्र रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	जिला कार्यालय सिंगरौली से दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक।
2	इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी	जिला कार्यालय सिंगरौली से दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00


आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक। संबंधित संभागीय उपायुक्त आबाकारी कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 07 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक। आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के मोतीमहल स्थित कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 06 फरवरी 2017 के सायंकाल 05:30 बजे तक। टीप:- आबकारी आयुक्त/संबंधित उपायुक्त कार्यालय में लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने पर तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे।
5 नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा इच्छुक प्राप्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 09 फरवरी 2017 को प्रातः 10:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

ई-टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम:-

क्र.	विवरण	तिथि व समय
1.	ई-टेंडर हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 14 फरवरी 2017 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 22 फरवरी 2017 दोपहर 03:00 बजे तक।
2.	ऑन-लाईन ई-टेंडर आफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 22 फरवरी 2017 सायंकाल 05:30 बजे तक।
3.	जिला समिति द्वारा ई-टेंडर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 23 फरवरी 2017 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

- निष्पादित की जाने वाली देशी / विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लॉटरी/का आवेदन पत्र एवं नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी दर, खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से अवकाश के दिनों का छोड़कर प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक तथा ई-टेंडर हेतु दिनांक 14 फरवरी 2017 से नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी दर, खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से अवकाश के दिनों सहित प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
- टेंडर प्रपत्र का मूल्य- वर्ष 2017-18 के लिये लॉटरी आवेदन पत्र/ई-टेंडर का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) प्रभारित किया जायेगा जो जिला आबकारी अधिकारी सिंगरौली के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैंश आर्डर अथवा साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन जमा की गई राशि की रसीद प्रस्तुत करना होगा।
- राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति -माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166/2016 में पारित आदेश के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर स्थित देशी मदिरा दुकान नौडिया एवं विदेशी मदिरा दुकान नौडिया व चटका को दिनांक 1.4.2017 से 500 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित होने हेतु जिला समिति द्वारा अनुमोदित दिनांक 12.01.2017 के अनुसार देशी मदिरा दुकान नौडिया को ग्राम समदा एवं विदेशी मदिरा दुकान नौडिया को ग्राम समदा व चटका को झिगुरदा करवाही में आपत्ति रहित स्थल पर स्थान्तरित कर संचालन किया जावेगा।
- मुख्य शर्त/निर्बन्धन/निर्बन्धनों की विस्तृत जानकारी वेबसाईड www.govtpressmp.gov.in से राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 27 दिनांक 18 जनवरी 2017 अपलोड कर प्राप्त की जा सकती है। तथा जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से भी कार्यालयीन दिवसों के कार्यालयीन समय में जिले के लिए तैयार घोष विक्रय शर्त निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है।

कलेक्टर द्वारा आदेशित


जिला आबकारी अधिकारी
सिंगरौली (म0प्र0)

